

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 मार्च 2021 — फाल्गुन 18, शक 1942

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 फरवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-34/खाद्य/2020/29-1.— विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का सं. 1) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, आईएएस को नियंत्रक विधिक मापविज्ञान के रूप में नियुक्त करती है तथा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए, व्यक्ति, जो बांट एवं माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 (1985 का सं. 54) की धारा 5 की उप-धारा (1) के प्रावधान के अधीन पूर्व में नियुक्त हो चुके हैं, भी नियंत्रक विधिक मापविज्ञान कहलायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 27th February 2021

NOTIFICATION

No. F 1-34/Food/2020/29-1.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of The Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010), the State Government, hereby, appoints Smt. Shikha Rajput Tiwari, IAS as The Controller of Legal Metrology and the person, who has been previously appointed under the provisions of sub-section (1) of the section 5 of the Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act, 1985(No. 54 of 1985) to be the Controller of Legal Metrology, for the purposes of this Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 27 फरवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-34/खाद्य/2020/29-1.— विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का सं. 1) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, संयुक्त नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करती है, जो निम्नानुसार संबंधित स्थानीय सीमाओं के संबंध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी:—

सं.क्र. (1)	अनुसूची (2)	सीमाएँ (3)
1.	संयुक्त नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, जो बांट एवं माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम 1985 की धारा 5 के तहत नियुक्त किया गया है।	संबंधित क्षेत्र
2.	संयुक्त नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, जो विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 14 के तहत नियुक्त किया गया है।	संबंधित क्षेत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 27th February 2021

NOTIFICATION

No. F 1-34/Food/2020/29-1.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of The Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010), the State Government, hereby, appoints the Joint Controller, Legal Metrology to exercise the powers conferred by or under this Act and to discharge the duties imposed on them, who shall exercise the powers conferred and impose duties in relation to the respective local limits as follows:-

Sr.no. (1)	Schedule (2)	Limitation (3)
1.	Joint Controller of Legal Metrology Appointed under Section 5 of the standards of Weights and Measures (Enforcement) Act, 1985	Respective Region
2.	Joint Controller of Legal Metrology Appointed under Section 14 of the Legal Metrology, act 2009	Respective Region

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 27 फरवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-34/खाद्य/2020/29-1.— विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का सं. 1) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उप नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करती है, जो निम्नानुसार संबंधित स्थानीय सीमाओं के संबंध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी:—

सं. क्र. (1)	अनुसूची (2)	सीमाएँ (3)
1.	उप नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, जो बांट एवं माप मानक (प्रर्वतन) अधिनियम 1985 की धारा 5 के तहत नियुक्त किया गया है।	संबंधित क्षेत्र
2.	उप नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, जो विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 14 के तहत नियुक्त किया गया है।	संबंधित क्षेत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 27th February 2021

NOTIFICATION

No. F 1-34/Food/2020/29-1.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010), the State Government, hereby, appoints the Deputy Controller, Legal Metrology to exercise the power conferred by or under this Act and to discharge the duties imposed on them, who shall exercise the powers conferred and impose duties in relation to the respective local limits as follows:-

S.no. (1)	Schedule (2)	Limitation (3)
1.	Deputy Controller of Legal Metrology appointed under Section 5 of the Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act, 1985	Respective Region
2.	Deputy Controller of Legal Metrology appointed under Section 14 of the Legal Metrology, Act 2009	Respective Region

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 27 फरवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-34/खाद्य/2020/29-1.— विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का सं. 1) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करती है, जो निम्नानुसार संबंधित स्थानीय सीमाओं के संबंध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी:-

सं.क्र. (1)	अनुसूची (2)	सीमाएँ (3)
1.	सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, जो बांट एवं माप मानक (प्रर्वतन) अधिनियम 1985 की धारा 5 के तहत नियुक्त किया गया है।	संबंधित जिला
2.	सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, जो विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 14 के तहत नियुक्त किया गया है।	संबंधित जिला

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 27th February 2021

NOTIFICATION

No. F 1-34/Food/2020/29-1.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010), the State Government, hereby, appoints the Assistant Controller, Legal Metrology to exercise the powers conferred by or under this Act and to discharge the duties imposed on them, who shall exercise the powers conferred and impose duties in relation to the respective local limits as follows:-

Sr.no. (1)	Schedule (2)	Limitation (3)
1.	Assistant Controller of Legal Metrology appointed under Section 5 of the Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act, 1985	Respective District
2.	Assistant Controller of Legal Metrology appointed under Section 14 of the Legal Metrology, Act 2009	Respective District

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 27 फरवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-34/खाद्य/2020/29-1.— विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का सं. 1) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करती है, जो निम्नानुसार संबंधित स्थानीय सीमाओं के संबंध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी:-

सं.क्रं. (1)	अनुसूची (2)	सीमाएँ (3)
1.	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, जो बांट एवं माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम 1985 की धारा 5 के तहत नियुक्त किया गया है।	संबंधित अनुभाग
2.	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, जो विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 14 के तहत नियुक्त किया गया है।	संबंधित अनुभाग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 27th February 2021

NOTIFICATION

No. F 1-34/Food/2021/29-1.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010), the State Government, hereby, appoints the Inspector, Legal Metrology to exercise the powers conferred by or under this Act and to discharge the duties imposed on them, who shall exercise the powers conferred and impose duties in relation to the respective local limits as follows:-

Sr.no. (1)	Schedule (2)	Limitation (3)
1.	Inspector of Legal Metrology Appointed under Section 5 of the Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act, 1985	Respective Division
2.	Inspector of Legal Metrology appointed under Section 14 of the Legal Metrology, Act 2009	Respective Division

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 27 फरवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-34/खाद्य/2020/29-1.— विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का सं. 1) की धारा 14 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं को परिभाषित करती है जिसके अंतर्गत धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त विधिक मापविज्ञान अधिकारी, जो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट हैं, वे उक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों या अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तथा नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान को एतद्वारा कॉलम (3) में यथा दर्शित विधिक मापविज्ञान अधिकारी के स्थानीय सीमाओं के भीतर क्षेत्र निर्धारण हेतु अधिकृत करती है।

अनुसूची

सं. क्र.	विधिक मापविज्ञान अधिकारी का पदनाम	स्थानीय सीमा
(1)	(2)	(3)
1	संयुक्त नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-रायपुर, छत्तीसगढ़	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
2	उप नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-रायपुर, छत्तीसगढ़	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
3	सहायक नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-रायपुर, छत्तीसगढ़	जिला-रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार
4	सहायक नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-दुर्ग, छत्तीसगढ़	जिला-दुर्ग, राजनांदगाँव, बालोद, बेमेतरा, एवं कबीरधाम
5	सहायक नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-जगदलपुर, छत्तीसगढ़	जिला-जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोण्डागाँव, नारायणपुर, बीजापुर एवं सुकमा
6	सहायक नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-बिलासपुर, छत्तीसगढ़	जिला-बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, गौरेला, चांपा
7	सहायक नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-अंबिकापुर, छत्तीसगढ़	जिला-अंबिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर एवं कोरिया
8	सहायक नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-रायगढ़, छत्तीसगढ़	जिला-रायगढ़ एवं जशपुर
9	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-रायपुर नगर	(1). संपूर्ण तिल्दा तहसील (2). आरंग तहसील में एन.एच.-56 का उत्तरी क्षेत्र (3). एच.पी.सी.एल. ऑयल डिपो, मंदिर हसौद
10	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-रायपुर तहसील	(1). संपूर्ण अभनपुर तहसील (2). आरंग तहसील का एन.एच.-55 के दक्षिणी क्षेत्र (3). आई.ओ.टी.एल, ऑयल डिपो, लखौली
11	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-रायपुर पूर्व	(1). टाटीबंध चौक से जी.ई.रोड पर रायपुर तहसील की सीमा सेरीखेड़ी तक के उत्तर का क्षेत्र (2). टाटीबंध चौक से भनपुरी चौक तक रिंग रोड-02 का दक्षिणी क्षेत्र (3). भनपुरी में मुंबई हावड़ा रेलवे लाईन से रायपुर तहसील उत्तरी सीमा तक का पूर्व का क्षेत्र
12	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-रायपुर पश्चिम	(1). खारून नदी (चन्दनीडीह) से टाटीबंध चौक

		तक एन.एच.-56 का दक्षिणी क्षेत्र (2.) टाटीबंध चौक से सेरीखेरी, रायपुर तहसील की सीमा तक का दक्षिणी क्षेत्र (3). रायपुर जिला के अंतर्गत ऑटो मीटर सत्यापन कार्य
13	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-रायपुर औद्योगिक	(1). खारून नदी (चन्दनीडीह) से टाटीबंध चौक तक एन.एच.-56 का उत्तरी क्षेत्र (2.) टाटीबंध चौक से भनपुरी चौक तक रिंग रोड नं. 02 का उत्तरी क्षेत्र (3). खमतराई से भनपुरी रोड एवं बाम्बे हावड़ा रेल्वे लाईन के बीच का भनपुरी क्षेत्र होते हुये, रायपुर तहसील के उत्तरी सीमा तक का पश्चिमी भाग का क्षेत्र
14	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय - धमतरी 1	महानदी के बायें तरफ, जिला धमतरी सीमा से जिला-बालोद सीमा तक के बायें तरफ का समस्त क्षेत्र (धमतरी एवं कुरुद तहसील) महानदी के उदगम क्षेत्र अकलाडोंगरी तक के बायें तरफ का समस्त क्षेत्र, महानदी के धमतरी जिले के अंतिम छोर
15	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-धमतरी 2	महानदी के दायें तरफ, जिला धमतरी सीमा से जिला-कांकेर सीमा तक के दायें तरफ का समस्त क्षेत्र एवं जिला-धमतरी सीमा से जिला-गरियाबंद के बायें तरफ का समस्त क्षेत्र (नगरी एवं मगरलोड तहसील) महानदी के उदगम क्षेत्र कठौली से महानदी के धमतरी जिले के अंतिम छोर अकलाडोंगरी तक के दाये तरफ का समस्त क्षेत्र
16	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-गरियाबंद	जिला- गरियाबंद
17	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-महासमुंद	जिला-महासमुंद
18	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय- बलौदाबाजार	जिला-बलौदाबाजार
19	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-दुर्ग उत्तर	एन.एच.-06 के दुर्ग उत्तर एवं धमधा तहसील, दुर्ग उत्तर में गंजपारा स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप एवं नयापारा दुर्ग शिविर के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र तथा बायपास रोड दुर्ग स्थित दो पेट्रोल पंप एचपीसीएल बाफना फ्यूल्स व बीपीसीएल पम्प तक को छोड़कर
20	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-दुर्ग दक्षिण	दुर्ग दक्षिण क्षेत्र एवं पाटन तहसील तथा दुर्ग उत्तर में गंजपारा स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप एवं नयापारा दुर्ग शिविर के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र तथा बायपास रोड, दुर्ग स्थित दो पेट्रोल पंप एचपीसीएल, बाफना फ्यूल्स व बीपीसीएल पंप तथा दुर्ग तक क्षेत्र को दक्षिण में जोड़ा गया है।
21	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय- भिलाई पूर्व	कुम्हारी, चरोदा, भिलाई खुर्सीपार, पावर हाउस (ओवरब्रीज के पूर्व का भाग) भिलाई 3 जामुल एसीसी सीमेंट प्लांट हथखोज, औद्योगिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई, नया क्षेत्र भिलाई स्टील प्लांट एवं जे.पी. सीमेंट प्लांट औद्योगिक प्रतिष्ठान
22	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय-भिलाई पश्चिम	भिलाई पूर्व की सीमा क्षेत्र को छोड़कर शेष सीमा क्षेत्र एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान भिलाई सेक्टर 01 से 10 तक एवं भिलाई कैम्प क्षेत्र
23	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय- राजनांदगाँव 1	एन.एच.-53 राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में स्थित नगर पालिका निगम क्षेत्र एवं डोंगरगांव के दक्षिण दिशा में स्थित विकास खंड अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, छुरिया तथा एन.एच. चिचोला, राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर पश्चिम दिशा में स्थित, बागनदी तक
24	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय- राजनांदगाँव 2	राजनांदगाँव क्षेत्र 1 को छोड़कर शेष क्षेत्र
25	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय- बालोद	जिला-बालोद

26	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय—बेमेतरा	जिला—बेमेतरा
27	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— कबीरधाम	जिला—कबीरधाम
28	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— बिलासपुर नगर	नगर निगम क्षेत्र— (1) परसदा से बहतराई, बिजौर तक (2) सकरी से लालखदान (रेलवे फाटक तक) (3) कृषि महाविद्यालय कोनी से मोपका तथा (4) रायपुर रोड में तिफरा नगर निगम क्षेत्र तक।
29	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— बिलासपुर तहसील	(1) मुंगेली रोड—भरनी—परसदा से तखतपुर (मनियारी नदी तक) (2) रायपुर रोड—बोदरी से मनियारी नदी सीमा (3) मस्तूरी रोड—लालखदान से रिस्दा, मस्तूरी—मल्हार—जोंधरा (4) रतनपुर रोड—सेंदरी से छपोरा, रतनपुर से बेलतरा (5) सीपत रोड—लगरा से जांजगीर सीमा तक (6) कोटा—रोड भरनी परसदा से पीपरतराई सीमा तक
30	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— बिलासपुर औद्योगिक	(1) सिरगिट्टी क्षेत्र (2) रेलवे क्षेत्र (रेलवे स्टेशन सीमा) (3) गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही जिला (4) कोटा क्षेत्र— 1. बिलासपुर रोड में पीपरतराई से शिवतराई 2. लोरमी रोड में गोबरीपाट से लारीपाट 3. पेण्ड्रा रोड में खैरा से केंदा तक
31	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— कोरबा 1	कोरबा विकासखंड, करतला विकासखंड, पोडी—उपरोड़ा, कटघोरा विकासखंड में कुसमुंडा, गोवरा, दीपका से मारुति कोलवाशरी (पाली)
32	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— कोरबा 2	1. कटघोरा विकासखंड में दर्री से लेकर—गोपालपुर से—कटघोरा नगर एवं पाली विकासखंड 2. गोपालपुर में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन का डिपो 3. कटघोरा में —बगदेवा माइन्स, भेगारी माइन्स, बांकीमोंगरा, बलगी माइन्स
33	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— जांजगीर 1	विकासखंड—जांजगीर (बम्हनीडीह) नवागढ़, बलौदा, चांपा, पामगढ़
34	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— जांजगीर 2	विकासखंड—सक्ती, डभरा (चन्द्रपुर) जैजैपुर मालखरौदा
35	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— मुंगेली	जिला—मुंगेली
36	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— जगदलपुर	जिला—जगदलपुर एवं सुकमा
37	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— दंतेवाड़ा	जिला—दंतेवाड़ा एवं बीजापुर
38	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— कोण्डागोव	जिला—कोण्डागोव एवं नारायणपुर
39	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— कांकेर	जिला—कांकेर
40	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— अंबिकापुर	जिला—अंबिकापुर
41	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— बलरामपुर	जिला—बलरामपुर
42	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— सूरजपुर	जिला—सूरजपुर
43	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— कोरिया	जिला— कोरिया
44	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— रायगढ़	जिला—रायगढ़ तहसील एवं खरसिया तहसील
45	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— सांरगढ़—घरघोड़ा	सारंगढ़ तहसील, घरघोड़ा तहसील एवं धर्मजयगढ़ तहसील
46	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय— जशपुर	जिला—जशपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 27th February 2021

NOTIFICATION

No. F 1-34/Food/2021/29-1.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section 14 of The Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010), the Government, hereby, defines the local limits as specified in column (3) of the Schedule hereto within which the Legal Metrology Officers appointed under sub-section (1) of the Section 14 specified in column (2) of the said Schedule shall exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on them by or under the said Act and The Controller of Legal Metrology is hereby authorized to define the area within the local limits as shown in column (3) for Legal Metrology Officer.

SCHEDULE

Sr. No.	Designation of Legal Metrology Officers	Local Limit
(1)	(2)	(3)
1	Joint Controller of Legal Metrology, Headquarter-Raipur, Chhattisgarh.	Whole state of chhattisgarh
2	Deputy Controller of Legal Metrology, Headquarter-Raipur, Chhattisgarh	Whole state of chhattisgarh
3	Assistant Controller of Legal Metrology, Headquarter- Raipur, Chhattisgarh	District- Raipur, Dhamtari, Gariaband, Mahasmund, Balodabazar
4	Assistant Controller of Legal Metrology, Headquarter-Durg, Chhattisgarh	District- Durg, Rajnandgaon, Balod, Bemetara and Kabirdham
5	Assistant Controller of Legal Metrology, Headquarter-Jagdalpur, Chhattisgarh	District- Jagdalpur, Dantewada, Kanker, Kondagaon, Narayanpur, Bijapur and Sukma.
6	Assistant Controller of Legal Metrology, Headquarter-Bilaspur, Chhattisgarh	District- Bilaspur, Korba, Mungeli, Janjgir-champa
7	Assistant Controller of Legal Metrology, Headquarter- Ambikapur, Chhattisgarh	District- Ambikapur, Balrampur Surjapur, Korea
8	Assistant Controller of Legal Metrology, Headquarter-Raigarh, Chhattisgarh	District- Raigarh and Jaspur
9	Inspector Legal Metrology, Headquarter-Raipur Nagar	1. Entire Tilda Tehsil 2. Northern Area of NH-56 in Aarnng Tehsil 3. HPCL Oil Depot, Mandir Hasaud
10	Inspector Legal Metrology, Headquarter-Raipur Tahsil	1. Entire Abhanpur Tehsil 2. Southern Area of NH-55 of Arang Tehsil 3. IOTL, Oil Depot, Lakhauli
11	Inspector Legal Metrology, Headquarter-Raipur East	1. Area north of Tatibandh Chowk to GE Road on Raipur Tehsil border to Seerikheri 2. Southern area of Ring Road -02 from Tatibandh Chowk to Bhanpuri Chowk 3. Mumbai Howrah Railway Line in Bhanpuri to Raipur Tehsil North Border East Zone
12	Inspector Legal Metrology, Headquarter-Raipur West	1. Southern area of NH-56 from Kharun River (Chandnidih) to Tatibandh chowk 2. Southern zone from the border of Tatibandh chowk to Serikheri, Raipur tehsil 3. Auto meter verification work under Raipur district
13	Inspector Legal Metrology, Headquarter-Raipur Industries	1. Northern area of NH-56 from Kharun river (Chandnidih) to Tatibandh chowk 2. Ring road no. 02 From Tatibandh chowk to Bhanpuri chowk Northern Territory 3. The area of the western part up to the northern boundary of Raipur Tehsil, through the Bhanpuri area between Khamtarai to Bhanpuri Road and Bombay Howrah Railway line.
14	Inspector Legal Metrology, Headquarter-Dhamtari	1 on the left side of Mahanadi all the area from district Dhamtari border to district-

		Balod border (Dhamtari and Kurud tehsil) all the area on the left side of Mahanadi upto Akaladongri, the end of Mahanadi to Dhamtari district of Mahanadi.
15	Inspector Legal Metrology, Headquarter-Dhamtari 2	On the right side of Mahanadi, all the area on the right side from District Dhamtari border to District-Kanker border and all area on the left side of District-Gariaband from District-Dhamtari border (Nagri and Magarlod Tehsil) from katholi origin of Mahanadi, All the area to the right end of the district to Akaladongri
16	Inspector Legal Metrology, Headquarter-Gariaband	District- Gariaband
17	Inspector Legal Metrology, Headquarter-Mahasamund	District- Mahasamund
18	Inspector Legal Metrology, Headquarter-Balaodabazar	District- Balodabazar
19	Inspector Legal Metrology, Headquarter-Durg north	NH-06 Durg North and Dhamdha Tehsil, Durg North, Reliance Petrol Pump and Ganjapara all area under Reliance Petrol Pump and Nayapara Durg Camp and two petrol pumps located at Bypass Road Durg except HPCL Bafna Fuels and BPCL Pump
20	Inspector Legal Metrology, Headquarter-Durg south	Durg South Zone and Patan Tehsil and all the area under Reliance Petrol Pump and Nayapara Durg Camp at Ganjpara in Durg North and two Petrol Pumps HPCL, Bafna Fuels and BPCL and Pump Durg at Bypass Road, Durg were added to the South.
21	Inspector Legal Metrology, Headquarter-Bhilai East	Kumhari, Charoda, Bhilai Khursipar, Power House (East part of Overbridge) Bhilai 3 Jamul ACC Cement Plant Hathkhoj, Industrial Area, Transport Nagar Bhilai, New Area Bhilai Steel Plant and J.P. Cement Plant Industrial Establishment
22	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Bhilai West	Except the border area of East Bhilai, the remaining border areas and industrial establishments from Bhilai Sector 01 to 10 and Bhilai Camp Area.
23	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Rajnandgaon 1	Municipal Corporation area located on the south side of NH-53 National Highway and development block in south direction of Dongargaon, Ambagar Chowki, Mohla, Manpur, Churia and N.H. Chichola, located west on 53 National Highway to Bagnadi
24	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Rajnandgaon 2	Remaining region except Rajnandgaon Region 1
25	Inspector, Legal Metrology, Head quarter-Balod	District-Balod
26	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Bemetara	District- Bemetara
27	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-kabirdham	District- kabirdham
28	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Bilaspur Nagar	Nagar nigam kshetr- (1) parasada se bahatararee, bijaur tak (2) sakaree se laalakhadaan (relave phaatak tak) (3) krshi mahaavidyaalay konee se mopaka and (4) raayapur rod mein tipphara nagar nigam kshetr tak)
29	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Bilaspur Tahsil	(1) Mungeli Road-Bharani-Parasada to Takhatpur (Maniyari River) (2) Raipur Road-Bodri to Maniyari River

		Border (3) Masturi Road-Lalkhadan to Risda, Masturi-Malhar-Jondhara (4) Ratanpur Road-Sendri to Chhapora, Ratanpur to Beltra (5) Sipat Road-Lagra to Janjgir Border (6) Kota-road Bharani Parsada to Piparatrai border
30	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Bilaspur Industries	(1) Sirgitti area (2) Railway area (Railway station boundary) (3) Gorella-Pendra-Marwahi District (4) Kota Area- 1. Pipatarai to Shivatarai in Bilaspur Road. 2. Gobaripat to Laripat in Lormi Road 3. Khaira to Kenda in Pendra-road.
31	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Korba 1	Korba Development Block, Kartala Development Block, Podi-Upora, Katghora Development Block Kusmunda, Gevra, Deepka to Maruti Kolvashari (Pali)
32	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Korba 2	1. Darri From the pass in Katghora development block to Gopalpur-Katghora town and Pali block 2. Indian Oil Corporation depot in Gopalpur 3. In Katghora - Bagdeva Mines, Bhegari Mines, Bankimongra, Balgi Mines
33	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Janjgir 1	Block-Janjgir (Bamhndih) Nawagarh, Baloda, Champa, Pamgarh
34	Inspector, Legal Metrology, Head quarter-Janjgir 2	Block-Sakti, Dabhra (Chandrapur) Jaizapur Malkharoda
35	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Mungeli	District- Mungeli
36	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Jagdalpur	District- Jagdalpur and Sukma
37	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Dantewada	District- Dantewada and Bijapur
38	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Kondagaon	Dist- Kondagaon and Narayanpur
39	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Kanker	District - Kanker
40	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Ambikapur	Dsitrict- Ambikapur
41	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Balrampur	District- Balrampur
42	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Surajpur	District- Surajpur
43	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Korea	District- Korea
44	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Raigarh	District- Raigarh Tahsil and Kharsiya Tahsil
45	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Sarangarh, Gharghoda	Sarangarh Tehsil, Gharghoda Tahsil and Dharamjaygarh Tehsil
46	Inspector, Legal Metrology, Headquarter-Jaspur	Dist- Jaspur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.